न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या 30 / 2021

गोकूल सिंह आदि बनाम छोटी आदि

<u>प्रार्थना पत्र – अस्थाई निषेधाज्ञा।</u>

एडवोकेट प्रति0 प्रार्थी – श्री अशोक कुमार जांगिड़
एडवोकेट अप्रार्थी – एकपक्षीय

:: **आदेश** ::

दिनांक 07.04.2025

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा में संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 387 रकबा 3.11 है0 भूमि का राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज चला आ रहा है। जिसके आधार पर अनावेदकगण उक्त भूमि को विक्रय या स्थानान्तरण करवाने हेतु अमादा है। अतः अनावेदकगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदकगण जारी की गई। अनावेदकगण की तलबी सम्यक रूप से होने के बावजूद कोई उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

अनावेदकगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर बहस वकील आवेदक सुनी गई। वकील आवेदक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति की तथा कथन किया गया कि आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे तथा स्थगन आदेश दिनांक 16.07.2021 को कंफर्म किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस वकील आवेदक का मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज चला आ रहा है जिसे दुरूस्त किये जाने हेतु आवेदक द्वारा घोषणा व रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा न्यायालय मे पेश किया गया है। अतः ताफैसला दावा उक्त भूमि को अनावेदकगण द्वारा विक्रय किया जाकर खुर्द बुर्द नही किये जाने से रोके जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

<u>आदेश</u>

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को राजस्व ग्राम रामपुरा पटवार हल्का चिराना की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 387 रकबा 3.11 है0 भूमि के मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु तादावा निर्णय अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तथा अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.07.2021 को पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो [illegible] रहे। निर्णय आज दिनांक 07.04.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.07.25 13:30:49 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़